हरियाणा अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र

(विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, हरियाणा)
चौ0 चरण सिंह ह0क0वि0 परिसर, हिसार।
(दूरभाष नं0 : 01662–232632, 231045–47)

हरसैक कैन्टीन के ठेके हेतु निविदा

चौ0 चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के कैम्पस में स्थित हरसैक कार्यालय में एक वर्ष की अवधि के लिए कैन्टीन चलाने के इच्छुक व्यक्ति, फर्म या पार्टी से कैन्टीन के मासिक किराए के रेट सील बन्द लिफाफे में दिनांक 01.05.2018 सांय 03.00 बजे तक आमंत्रित किए जाते हैं। इसके बाद प्राप्त होने वाली निविदा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। सभी निविदाएं दिनांक 01.05.2018 सांय 04.00 बजे निविदाकर्ताओं की उपस्थिति में खोली जाएगीं। इच्छुक व्यक्ति/पार्टी/फर्म कैन्टीन पर सप्लाई की जाने वाली चीजों के रेट और आवश्यक नियमों एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय अथवा हरसैक की वेबसाइट www.harsac.org से प्राप्त कर सकते हैं।

मुख्य वैज्ञानिक

हरियाणा अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र

(विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, हरियाणा)
चौ0 चरण सिंह ह0क0वि0 परिसर, हिसार।
(दूरभाष नं0 : 01662–232632, 231045–47)

हरसैक कैन्टीन का ठेका

एक वर्ष की अवधि के लिए हरसैक कैन्टीन चलाने के इच्छुक व्यक्ति, फर्म या पार्टी से कैन्टीन के मासिक किराए के रेट सील बन्द लिफाफे में दिनांक 01.05.2018 सांय 03.00 बजे तक आमंत्रित किए जाते हैं। इसके बाद प्राप्त होने वाली निविदा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। निविदा दिनांक 01.05.2018 को सांय 04-00 बजे सभी निविदाकर्ताओं की उपस्थिति में खोली जाएगीं। कैन्टीन पर सप्लाई की जाने वाली चीजों के रेट निम्न रहेंगें।

आईटम का नाम	:	**रेट रू0 में**
चाय	:	10 रू0 प्रति कप
डिप चाय	:	12 रू0 प्रति कप
दूध पत्ती	:	12 रू0 प्रति कप
कॉफी (manually made)	:	12 रू0 प्रति कप
कॉफी (vending machine)	:	15 रू0 प्रति कप
समोसा एवं ब्रैड पकौड़ा	:	10 रू0 प्रति पीस
मिक्स पकौड़ा	:	180 प्रति किलो
पनीर पकौड़ा	:	270 प्रति किलो
मिनरल वॉटर, कोल्ड ड्रिंक्स एवं बिस्कुट और अन्य खाने योग्य पदार्थ (जो कि कागज में पैक की हुई एवं उस पर अधिकतम बिक्री मूल्य छपा हो)	:	एम.आर.पी.
मिठाई जैसे : पेड़ा, बर्फी, खुरमा, मट्ठी, बेसन बर्फी इत्यादि	:	मार्किट रेट पर

अन्य नियम एवं शर्तें :–

1. केवल व्यस्क व्यक्ति ही कैन्टीन के ठेके के लिए खुली बोली में भाग ले सकता है।
2. ठेके की अवधि एक वर्ष के लिए होगी।
3. ठेकेदार को ठेका अलॉट होने के उपरान्त मु0 2000 रू0 बतौर प्रतिभूति यानि सिक्योरिटी हरसैक कार्यालय में जमा करवानी होगी।
4. ठेकेदार कैन्टीन में चाय बनाने के लिए अपनी कीमत पर गैस का प्रबंध करेगा तथा विद्युतीय हीटर या इमरशन रॉड़ इत्यादि का प्रयोग नही करेगा।
5. ठेकेदार कैन्टीन में नशीली वस्तुएं जैसे बीड़ी, सिगरेट, गुटका, तंबाकू इत्यादि नही बेचेगा।
6. कैन्टीन में ताश खेलने, धुम्रपान करने, शराब का सेवन करने पर पूर्णतः प्रतिबंध होगा। यदि ऐसा पाया गया तो इसके लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेवार होगा।
7. कैन्टीन को साफ सुथरा रखने के लिए ठेकेदार की जिम्मेवारी होगी।
8. ठेकेदार चाय, दूध एवं अन्य खाद्य पदार्थ उत्तम क्वालिटी के उपलब्ध कराएगा।
9. कैन्टीन में कुर्सी तथा मेज हरसैक कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगीं।
10. मुख्य वैज्ञानिक, हरसैक, हिसार को बिना किसी कारण बताए ठेका निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
11. जिस फर्म/व्यक्ति को ठेका अलॉट होगा, वह प्रत्येक मास अग्रिम तौर पर किराए की राशि जमा करवाएगा।
12. कैन्टीन का ठेका किराया अधिक देने वाली पार्टी को ही अलॉट किया जायेगा।
13. ठेकेदार अपनी क्रॉकरी/डिस्पोजल आदि की व्यवस्था स्वयं करेगा।
14. ठेकेदार अन्य किसी दूसरे व्यक्ति के नाम ठेका स्थानान्तरित नही कर सकेगा।
15. सफल बोलीदाता कार्य शुरू करने से पूर्व 10/– रूपये का नॉन–जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर सभी शर्तों व नियमां की पालना करने बारे एग्रीमैन्ट देना होगा। अन्यथा कार्य शुरू नही करने दिया जाएगा।

मुख्य वैज्ञानिक